संख्या बी–2–2299/दस–2014–1–2014

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या बी–2–2223/दस–2014–1–2014 दिनांक 24 जुलाई, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 में अनुदान संख्या–61 से तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के लिये स्वीकृत सामान्य समनुदेशन की धनराशि **रूपये 3734.50 करोड़** आपके निवर्तन पर रखी गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2014 के प्रस्तर–2(2) में यह व्यवस्था दी गयी है कि "निकायों को आवंटित धनराशि का 1/8 भाग प्रतिमाह निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या–719/नौ–9–2014– 193ज/13, दिनांक 19 जून, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कोषागार से आहरित कर सीधे निकायों के खातों में ई–पेमेन्ट द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा। "

2– उक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या 8/3219/137–तृतीय राज्य वित्त आयोग(ई0पेमेन्ट)/2014–15 दिनांक 30 जुलाई, 2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश दिनांक **19 जून, 2014** के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 19 जून, 2014 में संशोधन की कार्यवाही भी शासन स्तर पर विचाराधीन है जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

3– अतः उक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग से ई–पेमेन्ट के सम्बन्ध में अग्रेतर आदेश प्राप्त होने तक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या बी–2–2223/दस–2014–1–2014 दिनांक 24 जुलाई, 2014 के प्रस्तर–2 (2) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"निकायों को आवंटित धनराशि का आहरण सम्बन्धित निकाय द्वारा जनपद कोषागार से किये जाने की स्थिति में, धनराशि का 1/8 भाग प्रतिमाह निकायों द्वारा कोषागार से आहरित किया जायेगा। धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल, नगर निगमों हेतु संबंधित मण्डलायुक्त एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा । "

शासनादेश संख्या बी–2–2223/दस–2014–1–2014 दिनांक 24 जुलाई, 2014 की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।